

फर्द अहकाम

नियम 26


दालत उपखण्ड अधिकारी राजस्व मुकाम भादरा

मीरादेवी वनाम् अकरम आदि आदि

मुकदमा 212 आरटीएक्ट न० 73/22 सन् 2022



प्र हुम	हुम या कार्यवाही नय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुम की तामील जारी हुआ
---------	--------------------------------	---

8.2022 प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता श्री मुन्शीराम गोस्वामी के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय वहस सुनी गई वहस पर मनन करने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाकं रोही मोजा चक 9 बरानी के खाता सं० 122/106 के मु० न० 98 के किला न० 6, 15, 16 मु० न० 99 के किला न० 1, 6 ता 20, मु० न० 100 के किला न० 10, 11, 20 कुल किला 22 की 5.566 है० बरानी खातेदारी में अप्रार्थीगण वाद भूमि के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। बैंक ऋण (रोडा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाफ्कोस कार्य DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एव सामान्य नोटिस प्रस्तुत करें। इस बाबत कोई उज एतराज हो तो अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई आदेश ता फौसला वाद कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण क तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस भिजवाए जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 09.09.2022को पेश हो


 सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक) भादरा

8.22

पञ्चवली द्वारा वकील जर्नी की अपील पर पञ्चवली पेशी में ली गयी वकील जर्नी व जर्नीफ त्वरं न अपील पत्र पेश कर पञ्चवली को हटके पर रिट करने का निर्देश किया गया। पञ्चवली का ध्यान रखे वकील जर्नी एवं अपील में निर्देश न लीमा रिफ लाइ दिनांक 08.08.2022 में एक अपीलवाला दाखला



 पञ्चवली
 कलक्टर

आपका निवेदन आकर आपका विषय का कार्य पत्रिका
की सूची पर नोट प्रोसेस किया गया है कार्य ही पत्रिका
कार्य ही मध्य कक्षा का कार्य प्रोसेस है



सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा